

VII

उद्योग मंत्रालय
MINISTRY OF INDUSTRY

अधिसूचना
NOTIFICATION

नई दिल्ली, 6 जून, 1964
New Delhi the 6th June, 1964

2167- नमक उपकरण अधिनियम, 1953 (1953 का 49) की धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और नमक उपकरण नियमावली, 1953 का अधिग्रहण करते हुए केंद्र सरकार ने निम्नलिखित नियम बनाए हैं, जैसे :-

S.O. 2167—In exercise of the powers, conferred by Section 6 of the Salt Cess Act, 1953 (49 of 1953), and in supercession of the Salt Cess Rules 1953 the Central Govt. hereby makes the following rules namely :-

1. संक्षिप्त नाम:—इन नियमों को नमक उपकरण नियमावली, 1964 कहा जाएगा।
Short title:—These rules may be called the Salt Cess Rules, 1964.
2. परिभाषाएँ:—इन नियमों में यदि संदर्भ में अन्यथा शर्त न रखी गई हो तो
Definitions:—In these rules, unless the context otherwise requires,
 - (क) 'अधिनियम' का अर्थ नमक उपकरण अधिनियम, 1953 (1953 का 49) होगा;
"Act" means the Salt Cess Act, 1953 (49 of 1953)
 - (ख) 'अधिकारी' का अर्थ कोई भी ऐसा व्यक्ति है जिसे नमक विनिर्माता की अपनी फैक्टरी के या उसकी फैक्टरी में बनाए गए नमक के सम्बन्ध में स्पष्ट रूप से अथवा प्रछन्न रूप से अपने 'अधिकारी' के रूप में प्राधिकृत किया हो और उसे नमक अधिकारी ने स्वीकार कर लिया हो;
"Agent" means any person who is recognised by the Salt Officer as the person expressly or implicitly authorised by the salt manufacturer to be his agent in respect of his salt factory or of the salt manufactured in his factory.
 - (ग) "उपकरण" का अर्थ अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत उगाहों और इकट्ठा किया गया उपकरण है;
"Cess" means of the cess levied and collected under section 3 of the act;
 - (घ) "सहकारी संस्था" का अर्थ सहकारी संस्था का अधिनियम, 1912 (1912 का 2) या समय विशेष में लागू किसी भी कानून के अन्तर्गत पंजीकृत कोई भी सहकारी संस्था है;
"Cooperative Society" means, a Co-operative Society registered under the Cooperative Societies Act 1912 (2 of 1912) or under any law for the time being in force);
 - (च) "फार्म" का अर्थ इन नियमों के साथ संलग्न फार्म है;
"Form" means a form appended to these rules;
 - (छ) "लाइसेंस" का अर्थ केंद्रीय उत्पाद शुल्क नियमावली, 1944 का नियम 103 के अंतर्गत जारी किए गए लाइसेंस से है और 'लाइसेंसधारी' का अर्थ उस व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह से है जो अलग-अलग या संयुक्त रूप से लाइसेंस रखते हैं;
"Licence" means a licence issued under the rule 103 of the Central Excise Rules 1944 and a "licensee" means a person or group of persons holding individually or jointly, a licence;
 - (ज) "नमक अधिकारी" का अर्थ नमक विभाग का अधिकारी है जिसका पद निरीक्षक के पद से छोटा न हो और जिसे नमक विभाग की भूमि या परिसर पर धोखाधिकार प्राप्त हो;
"Salt Officer" means an officer of the Salt Department not below the rank of an Inspector having jurisdiction over the land or premises where salt is manufactured;
 - (झ) "नमक विनिर्माणशाला" का अर्थ नमक फैक्टरी के अन्दर कोई भी निर्दिष्ट क्षेत्र है जिसका उपयोग नमक बनाने के लिए किया जाता है। और जिसका लोक लेखों में पृथक पंजीकरण हुआ है;
"Salt works" means an any defined area within a salt factory which used for the manufacture of salt and which is separately registered as such in public accounts;

Cess when and by whom payable :—The cess shall be paid by the manufacturer at the time when salt is removed from the factory.

4. उपकरकी अदायगी का तरीका:—उपकर सम्बन्धी सभी अदायगियों खजाने में "II संघ उत्पाद शुल्क नमक-नमक पर उपकर" के अन्तर्गत जमा की जाएंगी।
Manner of payment of cess :—All payments on account of cess shall be made into the Treasury to the credit of "II union excise duties-Salt-Cess on Salt".

5. फौटरी से नमक का बाहर लाना:—अन्यथा रखी गई व्यवस्था के अतिरिक्त जब तक नमक पर देय उपकर अदा नहीं जाए और नमक अधिकारी से तत्संबंधी परमिट प्राप्त न कर लिया जाए नमक किसी भी फौटरी को बाहर नहीं लाया जा सकता। चाहे यह इस्तेमाल के लिए लाया जाए या किसी अन्य वस्तु के विनिर्माण के लिए।

Removal of salt from factory :—Save as otherwise provided no salt shall be removed from any salt factory, whether for the consumption or for manufacture of any other commodity, unless the cess due thereon has been paid and permit in respect thereof has been obtained from the Salt Officer.

यह व्यवस्था की जाती है कि यह नियम उस नमक पर नहीं लागू होगा जो नमक फौटरी से भंडार कमरे या आयुक्त द्वारा अनुमोदित किसी अन्य गोदाम में ले जाया जा रहा हो।

Provided that this rule shall not apply to any salt removed from a salt factory to a store-room or other place of storage approved by the Commissioner.

यह भी व्यवस्था की जाती है कि विनिर्माता इस प्रकार के पृथक परेपण के लिए अदायगी करने के बजाए आयुक्त की अनुमति लेकर नमक अधिकारी के यहां एक 'चालू लेखा' खोल सकता है और उस लेखों में हमेशा के लिए एक ऐसी राशि जमा रख सकता है जो आयुक्त की राय में एक मास की अवधि के दौरान विनिर्माण-स्थल से गोदाम को भेजे जाने वाले नमक पर उगाहे जाने वाले उपकर की राशि के लिए प्रयाप्त हो, चालू लेखों का हिसाब-किताब नमक अधिकारी एक मास के भीतर ही कर लिया करेगा।

Provided further that with the permission of the Commissioner a manufacturer may, instead of making payment of cess in respect of each separate consignment, open an account current with the Salt Officer and keep in such account at all times, an amount sufficient in the opinion of the Commissioner to cover the amount of cess leviable on salt intended to be removed from the place of manufacture or storage during a period of one month; the account current being settled by the Salt Officer at intervals not exceeding one month.

यह भी व्यवस्था की जाती है कि आयुक्त द्वारा दिए गए परमिट की शर्तों के अधीन और उनके अनुसार ही नमक रविवार को या किसी सार्वजनिक छुट्टी या किसी अन्य दिन 9 बजे रात और 6 बजे सुबह के बीच बाहर निकाला जा सकता है उसके अतिरिक्त नहीं।

Provided further that no salt shall, except under and in accordance with the terms and conditions of a permit granted by the Commissioner, be removed from a factory on a Sunday or other public holiday or on any other day between 9 p.m. and 6 a.m.

यह भी व्यवस्था की जाती है कि उसी परिसर में रसायनों के विनिर्माण में प्रयोग के लिए नमक फौटरी से निकाले गए नमक पर लगे हुए उपकर की अदायगी ऐसे समय में तथा ऐसे ढंग से की जाएगी जो केन्द्रीय सरकार समयानुसार निर्धारित करे।

Provided further that the cess with respect to salt removed from a salt factory for consumption in the manufacture of chemicals in the same precincts shall be paid at such times and in such manner as the Central Govt. may specify from time to time.

नमक को बाहर जाने के लिए आवेदन:-
Application for removal of salt:-

(1) जो भी व्यक्ति नमक फौटरी से नमक बाहर लाना चाहता है उसे फौटरी कार्यालय के कार्य समय के भीतर नमक अधिकारी को फार्म 'क' फार्म 'ग' या फार्म 'घ' पर जो भी उचित हो, आवेदन देना होगा और साथ ही उस पर लगे उपकर की अदायगी का रसीदी खजाना चालान भी, यदि हो तो, संलग्न करना होगा।

Any person who desires to remove salt from a salt factory shall apply (within the working hours of the factory office) officer concerned in Form "A" Form "C" or Form "D" as the case may be together with the receipted Treasury Challan, if any, for the payment of cess due thereon.

(2) उपनियम (1) में उल्लिखित आवेदन पत्र और रसीदी खजाना चालान प्राप्त होने पर नमक अधिकारी फार्म 'ख' में परमिट जारी कर सकता है।
On the receipt of the application and the receipted Treasury Challan referred to in sub-rule (1) the Salt Officer may issue a permit in Form 'B'.

7. नमक को भार-परीक्षा :—(1) नमक फैक्ट्री से बाहर निकाला हुआ नमक परमिट के साथ ही सीधे भार-परीक्षा केन्द्र यदि कोई हो, या परमिट में उल्लिखित प्लेटफार्म पर निर्दिष्ट अत्रि के भीतर ले जाया जाएगा।

Check weighment of salt :—(1) Salt removed from a salt factory shall be taken, together with the permit covering it direct to the checkweighment station, if any, or platform named in the permit, within the period specified in the permit. omitted

- (2) केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर इस संबंध में जारी हुए आदेशों को ध्यान में रखते हुए भार परीक्षा केन्द्र या प्लेटफार्म का प्रभारी अधिकारी नमक की कुल मात्रा के कम से कम 5% अंश की भार परीक्षा करेगा। यदि भार परीक्षा करने पर वजन का अंतर 1% के अंदर है तो उसकी उपेक्षा की जाए और नमक को अपने गन्तव्य पर ले जाने की अनुमति दे दी जाए। यदि अंतर 1% और 4% के बीच हो तो अतिरिक्त मात्रा पर उपकर की अदायगी के बाद ही नमक को गन्तव्य पर ले जाने दिया जाए। यदि अंतर 4% से भी अधिक हो तो नमक की कुल मात्रा स्वामी द्वारा विनिर्माण स्थल को भेज दी जानी चाहिए जहाँ उसकी दुबारा भार परीक्षा की जाए और परमिट में उल्लिखित मात्रा के अनुसार उसके वजन में फेर बदल किया जाए।

Subject to such orders as the Central Govt. may issue from time to time in this behalf, the Officer-in-Charge of the checkweighment station or platform shall checkweigh a minimum of 5% of the quantity of salt. If the verification on weighment is within 1% it may be ignored and the salt may be allowed to be taken to the destination. In case the variation is between 1% and 4% the salt may be allowed to be removed to the destination on payment of cess on the excess quantity. In the event of the variation being more than 4% the entire quantity of salt shall be removed by the owner to the place of manufacture for complete re-weighment and adjustment so as to comply with the quantity mentioned in the permit.

8. एक बार बाहर लाया हुआ नमक वापस न ले जाया जाए :—इन नियमों के अनुसार नमक फैक्ट्री से बाहर लाया हुआ नमक द्वारा उसके अंदर नहीं ले जाया जा सकता है।

Salt once removed not to be brought back :—No. Salt which has been removed from a salt factory in accordance with these rules shall be brought back into it.

9. उपकर की अदायगी से छूट :—निम्नलिखित मामलों में नमक की उपकर की अदायगी में उनमें से प्रत्येक के सामने निर्दिष्ट सीमा तक छूट दी जाएगी :

Exemption from payment of cess :—In the following cases, salt shall be exempt from payment of cess to the extent specified against each.

- (क) भारत के समुद्री मार्ग से निर्यात किए हुए नमक पर.....पूरी छूट।
Salt exported by sea from India.....the whole.
- (ख) किसी व्यक्ति या व्यक्ति समूह द्वारा किसी नमक निर्माण शाला में बनाए गए नमक पर.....पूरी छूट।
जिसका क्षेत्रफल 4.04686 हेक्टेयर से अधिक न हो।
Salt manufactured by any person or group of persons in a salt work, the area of which does not exceed 4.04686 Hectare.....the whole.
- (ग) किसी सरकारी संस्था द्वारा नमक निर्माण शाला में बनाए गए नमक पर, संस्था के प्रत्येक सदस्य के पास 4.04686 हेक्टेयर या उससे कम का क्षेत्र हो.....पूरी छूट।
Salt manufactured in a Salt work by a cooperative society the area held by each individual member thereof being 4.04686 Hectares or less.....the whole
- (घ) किसी नमक निर्माण शाला में, जिसका क्षेत्रफल 4.04686 हेक्टेयर से अधिक किन्तु 40.4686 हेक्टेयर से कम हो, बनाए गए नमक पर.....आधी छूट।
Salt manufactured in a salt work the area of which exceeds 4.04686, but does not exceed 40.4686.....one half.
- (ङ) किसी सहकारी संस्था द्वारा नमक निर्माण शाला में बनाए गए नमक पर, निर्माणशाला में संस्था के प्रत्येक सदस्य के पास जो क्षेत्र है वह 4.04686 हेक्टेयर से अधिक हो किन्तु 40.4686 हेक्टेयर से अधिक न हो.....आधी छूट।
Salt manufactured in a salt work by a cooperative society the area held by each individual member thereof being more than 4.04686 Hectare not more than 40.4686 Hectares.....one half.
- (च) भारत से भारतीय राज्य व्यापार निगम सी० नई दिल्ली और नमक व्यापार निगम सी० काठमांडू नेपाल की एजेंसियों के माध्यम से भेजे गए नमक पर.....पूरी छूट।
Salt despatched from India to Nepal through the agencies of the State Trading Corporation of India Ltd., New Delhi and Salt Trading Corporation Ltd., Kathmandu, Nepal..... the whole.

10. नमक का संचयन—प्रत्येक विनिर्माता सारा नमक अपनी मगगा फैक्टरी में एकट्ठा करके या व्यवस्थित ढंग से जमा करके रखेगा।
उसकी मात्रा का अनुमान सुभीते के साथ लगाया जा सके, और यदि आयुक्त चाहे तो—
Storage of Salt:—Every manufacturer shall keep all salt in the salt factory heaped or stocked in an orderly manner so as to facilitate the estimation of quantity and if the Commissioner so requires, shall also

(क) वह नमक के पैकेज अलग-अलग ढेरों में या पैकेजों के ढेरों में रखेगा।
Keep packages containing salt arranged in separate heaps or lots of packages.

(ख) वह अलग-अलग ढेरों या पैकेजों के ढेरों के सम्बन्ध में स्टॉक कार्ड भी रखेगा।
Maintain stock cards in respect of separate heaps or lots of packages.

11. स्टॉक लेखा अनुरक्षण :—प्रत्येक विनिर्माता—
Maintainance of stock account:—Every manufacturer shall—

(क) फैक्टरी में नमक के स्टॉक का सच्चा और ठीक-ठीक लेखा ऐसी विधि से रखेगा जिसका निर्देश आयुक्त ने दिया हो, और
Maintain true and correct account of the stock of salt in the factory in such form and in such manner as may be specified by the Commissioner; and

(ख) यदि नमक अधिकारी चाहे तो लेखों के निरीक्षण की अनुमति देगा या उसे निरीक्षण के लिए पेश करेगा।
When so required by the Salt Officer, permit inspection of the account of produce it for his inspection.

12. नमक की नाप और तोल :—
Weighing and measuring salt:—

(1) प्रत्येक विनिर्माता नमक फैक्टरी के सारे नमक के तोलने, नापने और उसका लेखा-जोखा करने के लिए सभी प्रकार की सुविधाएँ उपलब्ध करेगा और जब भी आयुक्त चाहे उन्हें काफी संख्या में तराजू, वाट और माप उपलब्ध करेगा।
Every manufacturer shall render all facilities to the Salt Officer for weighing, measuring and taking account of all salt in the salt factory and shall when required by the Commissioner, provide sufficient number of correct scales, weights and measures.

(2) जहाँ विनिर्माता ने तराजू वाट और मापों की व्यवस्था नहीं की है वहाँ फैक्टरी का नमक विभाग द्वारा उपलब्ध तराजू, वाटों, और मापों से तोला या मापा जाएगा। ये तराजू वाट आयुक्त द्वारा निर्धारित किराए पर दिए जाएंगे जिनकी भ्रदायगी विनिर्माता को करनी होगी।
Where the manufacturer has made no provision, for scales, weights and measures, the salt in the salt factory shall be weighed or measured by the scales, weights and measures provided by the department on payment of such hire charges as may be prescribed by the Commissioner.

13. विवरणियाँ प्रस्तुत करना :—प्रत्येक विनिर्माता को प्रत्येक मास की 10 तारीख तक या उससे पहले '3' फार्म में एक विवरणी नमक अधिकारी को प्रस्तुत करनी होगी जिसमें पिछले महीने नमक फैक्टरी में बने और बाहर निकाले गए नमक के सभी स्टॉक का व्यौरा दर्ज होगा।
Submission of returns: Every manufacturer shall submit to the Salt Officer on or before the tenth of every month a return in form 'E' of all stocks of salt manufactured in and issued from the Salt Factory during the previous month.

14. कम लगाए गए उपकर की वसूली :—जहाँ नमक अधिकारी की भूल या चूक या गलतफहमी के कारण या विनिर्माता अथवा उसके एजेंट या किसी अन्य व्यक्ति नमक की मात्रा या व्यौरे के बारे में दिए गए गलत विवरण के कारण उपकर कम लगाया गया हो या गलती से वापस कर दिया गया हो तो इन व्यक्तियों को जिन पर वह उपकर कम दिया गया था या उस व्यक्ति को जिसे गलती से वह वापस कर दिया गया था नमक अधिकारी को लिखित मांग पर उस तारीख के जिसको वह उपकर कम लगाया गया था या वापस कर दिया गया था, तीन मास के भीतर जैसा भी हो कमी की रकम भ्रदा करनी होगी या वापस की गई रकम दुबारा भ्रदा करनी होगी।

Recovery of cess short levied :- Where through inadvertance error or misconstruction of the part of the Salt Officer, or through any mis-statement as to the quantity of description of such salt on the part of manufacturer or his agent or for any other reason cess, has been short levied or erroneously refunded the persons chargeable with the Cess so short levied or the person to whom such refund has been erroneously made, shall on written demand made by the Salt Officer within three months from the date on which the cess was short-levied or refunded, pay the deficiency or repay the amount refunded.

15. उपकर की रकम की वापसी:—कोई भी उपकर जिसकी अदायगी की जा चुकी है और जिस की भूल या चूक या गलतफहमी के कारण अदायगी होने के फलस्वरूप पूरी या आंशिक वापसी की मांग की जाए तो वह तभी वापस किया जाएगा जबकि अदायगी की तारीख या संमतन की तारीख से बीता भी हो, तीन मास के भीतर नमक अधिकारी से लिखित मांग की जाए।

Refund of cess:—No cess which has been paid and of which a refund, in whole or in part, is claimed in consequence of the same having been paid through inadvertance, error or misconstruction shall be refunded, unless a written claim is made with Salt Officer within three months from the date of the payment or adjustment, as the case may be.

16. उपकर से किया गया खर्च:—सारा पूंजीगत खर्च "40-पूंजी, औद्योगिक विकास नमक पर खर्च" शीर्षक के अंतर्गत नामे डाला जाएगा। शेष सभी खर्च "35 उद्योग नमक" शीर्षक के अंतर्गत निदिष्ट विभिन्न उपशीर्षों और विस्तृत शीर्षों के अंतर्गत नामे डाला जाएगा।

Expenditure from cess:—All expenditure of a capital nature shall be debited to the Head "40 Capital. Out-lay on Industrial Development Salt." All other expenditure shall be debited to the various sub-heads and detailed heads prescribed under the Head "35-Industries-Salt."

17. उपकर की वसूली का खर्च:—आयुक्त हर वित्त वर्ष की समाप्ति पर सभी नमक फैक्टरियों के सम्बन्ध में लागू उपकर पर प्राप्त खर्च का हिसाब लगाया जाए और उस खर्च की रकम को केन्द्र सरकार के अनुमोदन से उपकर की वसूली पर आया खर्च मान लिया जाएगा।

Cost of collection of cess: The Commissioner shall work out at the close of each financial year the expenditure on the collection of cess in respect of all salt factories and the amount so worked out shall with the approval of the Central Govt. be treated as the cost of collection of the cess.

18. कच्चा लेखा:—
Proforma account:

(1) आयुक्त हर वित्त वर्ष की समाप्ति पर 'ज' में सरकारी लेखे से अलग एक कच्चा लेखा तैयार करेगा जिसमें पिछले वर्ष के दौरान उपकर लेखे में हुई आय और व्यय का ब्यौरा तथा उस वर्ष के अंत में रहा शेष दर्ज होगा।
After the close of each financial year the Commissioner shall compile in form 'F' a proforma account outside the Govt. account showing the receipts into and the expenditure from the cess account during the year and the balance remaining at that end of the year.

(2) कच्चे लेखे की लेखपरीक्षा महालेखापाल, वाणिज्य, निर्माण और विविध या उसके द्वारा इस कार्य के लिए विधिवत् प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी द्वारा की जाएगी।
The proforma account shall be audited by the Accountant General, Commerce, Works & Miscellaneous or any other Officer duly authorised by him in this behalf.

(3) महालेखापाल, वाणिज्य, निर्माण और विविध अथवा अन्य ऐसे अधिकारी द्वारा विधिवत् लेखा परीक्षित और प्रमाणित कच्चे लेखे की एक प्रति लेखे से सम्बन्धित वित्त वर्ष से अगले वर्ष में जनवरी में या एक उसके समाप्त होने से पहले केन्द्रीय सरकार को अर्पित की जाएगी।
A copy of the proforma account duly audited and certified by the Accountant General, Commerce, Works & Miscellaneous or such other officer shall be forwarded to the Central Govt. on or before the end of January following the financial year to which the accounts relates.

(4) लेखा नमक संगठन की वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट में भी शामिल किया जाएगा।
The account shall also be incorporated in the annual Administration Report of the Salt Organisation.

'फॉर्म' क
'Form' A

(देखें नियम 6)
(See Rule 6)

नमक के, जिस पर उपकर भ्रदा हो चुका है, बाहर निकालने के लिए परमिट का आवेदन
Application for permit for the removal of salt on which cess is paid

अंगल
Circle

नमक फैक्टरी
Salt Factory

1. आवेदक का नाम
Name of applicant
2. आवेदक का निवास
Residence of applicant
3. नमक फैक्टरी के लाइसेंस की संख्या
तथा नाम
Number and name of license of the Salt
factory.
4. प्लेटफॉर्म और ढेर जिसमें से सुपुर्दगी की जानी है
Platform or heap from which delivery is to be made.
5. मात्रा
Quantity
6. प्रति बिन्टल लागत मूल्य
Cost price per quintal
7. नमक उपकर अधिनियम, 1953 (नियम 9) के अधीन उपकर
की दर, चालान सं० और तारीख और उस खजाने का नाम
जिसमें उपकर जमा कराया गया है या चालू लेखा सं० और
आवेदन की तारीख को उस लेखे में जमा रकम।
Rate of cess under the Salt Cess Act, 1953
(Rule 9) Challan No. and date and name of
Treasury in which the cess has been deposited
or account Current No. and the amount in
credit balance on the date of applicant.
8. स्थान का नाम जहां नमक भेजा जाना है।
Place to which salt is to be transported.
9. नमक स्थानीय खपत के लिए चाहिए या कहीं और भेजने के लिए, यदि बाद के प्रयोजन के लिए चाहिए तो उस स्थान या जिले का नाम
जहां उसकी खपत होने वाली है।
Whether the Salt is required for local consumption or for subsequent transport elsewhere; if for the
latter, the place or district for the consumption of which it is destined.
10. नमक आवेदक के हटाया जाना है या किसी अन्य व्यक्ति के लिए, यदि दूसरे व्यक्ति के लिए है तो उसका नाम और पता दें।
Whether removal is on applicants own account or for another persons if for another person,
his name and address.

मैं/हम एतद्वारा घोषणा करता हूँ/करते हैं कि उपर्युक्त बयान सच है।
I/We hereby declare the above statement to be true.

आवेदक/लाइसेंसधारी
Applicant/Licensee

फॉर्म 'ग'
FORM 'C'

(देखें नियम 6)
(See Rule 6)

सेवा में,
To

नमक अधिकारी
The Salt Officer

के मैं/हम निम्नलिखित मात्रा में गंतव्य देश को
..... फैक्टरी से समुद्री रास्ते से नमक का निर्यात करना चाहता हूँ/चाहते हैं।
I/We of propose to export
the under mentioned quantity of salt to (country of destination) by sea from
..... factory.

टूटे हुए/बगैर तोड़े हुए नमक का प्रकार Variety of salt cru- shed/un-crushed	नमक की मात्रा (टन) (पैकेज) Quantity of salt (tonnes) (packages)	जहाज तक निःशुल्क मूल्य दर और पोतलदान की बन्दरगाह Price F.O.B. Rate & port of shipment	मूल्य रु० Value Rs.	मन्युक्ति Remarks

2. मैं/हम एतद्वारा घोषणा करता हूँ/करत हैं कि उपर्युक्त विवरण सही हैं और ठीक प्रकार से प्रस्तुत किया गया है।
I/We hereby declare that the above particulars are true and correctly stated.

स्थान
Place

तारीख
Date

मालिक या प्राधिकृत एजेंट के हस्ताक्षर
Signature of owner or
authorized agent

(सभी प्रतियों पर)
(On all copies)

प्रमाणित किया जाता है कि पिछले पृष्ठ पर दिये गये परेषण की सैने परीक्षा कागज़ों में और मुझे संतोष है कि विवरण में
कही गई बातें सही हैं। निर्यात किये गये नमक की मात्रा पर उपकर से छूट दे दी गई है।
Certified that I have examined the consignment described overleaf and am satisfied that the parti-
culars stated in the description are correct. The quantity of salt exported is exempted from the levy
of cenn.

स्थान
Place

तारीख
Date

नमक अधिकारी के हस्ताक्षर
Signature of Salt Officer

(मूल तथा दूसरी प्रति पर)
(On Original and Duplicate)

2. प्रमाणित किया जाता है कि निर्यात लाइसेंस सं०.....तारीख.....के सम्बन्ध में परिषद पोतपरिवहन बिल सं०.....को.....से भेजा गया था जो तारीख.....197 को.....के लिए रवाना हुआ

Certified that the consignment was shipped under shipping Bill No.....dated.....Ref. Export Licence No.....dated.....on the.....day of.....197

स्थान.....
Place

सीमा शुल्क अधिकारी
Signature of Salt Officer

तारीख.....
Date

(केवल दूसरी प्रति पर)
(On duplicate only)

प्रमाणित किया जाता है कि पिछले पृष्ठ पर उल्लिखित नमक को नहीं उतारा गया है और उसे भारत के किसी भी बन्दरगाह में नहीं उतारना है।
Certified that salt described overleaf has not been relanded and is not intended to be relanded at any part of India.

स्थान.....
Place

निर्यातकर्ता के हस्ताक्षर
Signature of Exporter

तारीख.....
Date

फार्म 'च'
FORM 'F'
(देखें नियम 18)
(See Rule 18)

उपकर में होने वाली प्राय तथा उससे होने वाला व्यय
Receipt and expenditure from the Cess

प्राप्तियाँ Receipts	व्यय Expenditure
1. शुरुआत Opening Balance	1. उपकर उगाही का भाग, व्यय का अनुपातिक अंश Cost of collection of Cess proportional Rs share of expenditure.
2. उपकर के रूप में जमा हुई राशि Amount of collection on account of Cess.	2. (i) नमक आयुक्त का प्रधान दफ्तर Salt Commissioner's Head Office (ii) क्षेत्रीय मुख्यालय का कार्यालय Regional Headquarters Office. निम्नलिखित पर खर्च :-
3. ऋणों तथा पेशगियों को वापसी से प्राप्त राशि Amount realised on account of loans and advances.	3. (i) पर्यवेक्षण :- स्थापना और क्षेत्रों में काम कर रहे कर्मचारियों पर जिसमें विशेष उपकर के रूप में वसूल राशि के प्रतिरिक्त लाइसेंसधारी के निर्माण कार्य के सम्बन्ध में हुए खर्च तथा पर्यवेक्षण खर्च शामिल नहीं है। Expenditure on - (i) Supervisory establishment and staff employed in Regions excluding the cost and supervision charges on account Licensees works, except amount recovered by way of special Cess. (ii) इंजीनियरी (वर्कशाप) स्थापना पर हुआ खर्च। Expenditure on Engineering (workshop) (iii) फैक्टरियों की स्थापना, रख रखाव और विस्तार, अनुसंधान केन्द्र और माडल फार्म जो वाणिज्यिक संस्थाएं घोषित नहीं किए गए हैं। Establishment maintenance and expansion of factories research stations and model farms not declared as Commercial concerns. (iv) नमक फैक्टरी में काम करने वाले मजदूरों की कल्याण Welfare of labour employed on Salt Industry. (v) नमक (निर्माण) फैक्टरियों के पुनर्निर्माण और पुनर्समायोजन के लिए ऋण और पेशगियाँ Loans and advances for remodeling and readjustment of Salt (works) factories.
4. ऋणों तथा पेशगियों से वसूल व्याज। Interest realised on loans and advances.	(6) उपदान और सहायक अनुदान आदि Subsidy and grants-in-aid etc. (7) इतिशेष Closing balance carried over.
5. प्राय प्राय—जो सेल जमा में जमा होने वाली प्राय समझा जा सकता है। Other receipts that may be treated as creditable to Cell Collections.	जोड़ Total नमक आयुक्त Salt Commissioner

जोड़
Total

प्रमाणित किया जाता कि उपर्युक्त आंकड़ों का सरकारी लेखों की बहियों में दर्ज आंकड़ों से पुनर्मेल कर लिया गया है।
Certified that the above figures have been reconciled with those booked in Govt. Accounts,

लेखा अधिकारी
Accounts Officer
नमक आयुक्त का कार्यालय,
Salt Commissioner's Office
जयपुर
Jaipur

महालेखापाल
ACCOUNTANT GENERAL
वाणिज्य, निर्माण और प्रकीर्ण
Commerce, Works & Miscellaneous
(सं० एफ 15 (16)/54-नमक)
(No. F.15 (16)/54-Salt)
एच० के० बंसल, अवर सचिव।
H.K. Bansal, Under Secy.

फार्म 'क'
FORM 'E'
(देखें नियम 13)
(See Rule 13)

बनाये गए और जारी किये गए नमक की मासिक विवरणी
Monthly return of salt manufactured and issued

मास.....19
Month

फैक्टरी का नाम और पता
Name of factory and Address

क्रम संख्या S. No.	नमक का प्रकार Variety of salt	पिछले मास के अंत में नमक की मात्रा Quantity of salt at the end of previous month	मूल्य Price	मास के दौरान बनाए गए नमक की मात्रा Quantity of salt manufactured during the month	बाना 3 और 5 का जोड़ Total of cols. 3 & 5	उपकर अथवा नमक को हटाने से हटाया गया नमक की मात्रा Quantity of salt removed from the factory on payment of Cess	उपकर दर Rate Amount	उपकर अथवा निर्यात के लिए हटाया गया नमक की मात्रा Quantity of salt removed for export without payment of Cess	अन्य पदार्थों के विनिर्माण के लिए उपकर अथवा बिना हटाये गए नमक की मात्रा Quantity of salt removed without payment of cess for manufacture of other commodities	बाना 7, 10 और 11 के अंतर्गत आने वाले नमक की मात्रा जो फैक्टरी से हटाया गया Quantity of salt other than that covered by Cols. 7, 10 & 11 removed from the factory	अन्य Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

मैं/हम घोषणा करता हूँ/करते हैं कि मैंने/हमने उपरोक्त ब्योरे का सरो/हमारी फैक्टरी के रिकार्ड से मिलान कर लिया है और जहाँ तक मैं/हम निश्चय कर सकता हूँ/कर सकते हैं वह ठीक और पूरा है।
I/We declare that I/we have compared the above particulars with the record of my/our factory and that they are in so far as I/we ascertain, accurate and complete.

विनिर्माता क हस्ताक्षर
Signature of manufacturer

फार्म
Form

(देखें नियम 6)
(See Rule 6)

नमक को निर्यात समुद्री मार्ग से नियमित नहीं किया जाता है किन्तु जिसपर उपकार से पूरी छूट दी जा चुकी है, हटाए जाने के लिए परमिट के लिए आवेदन पत्र।
Application for permit for the removal of salt not intended to be exported by sea but wholly exempt from duties.

भाग Circle	फैक्टरी Factory
---------------	--------------------

1. आवेदक का नाम.....
Name of the applicant
2. आवेदक का निवास.....
Residence of applicant
3. उस नमक फैक्टरी के लाइसेंसधारी की संख्या और नाम..... सं.
No. and name of licensee of that salt factory No. नाम
Name
4. प्लेटफार्म और ढेर जहां से सुपुर्दगी की जाती है। प्लेटफार्म सं.
Platform and heap from which delivery is to made. Platform No. ढेर सं.
Heap No.
5. मात्रा..... टन/पिंघणस
Quantity Tonnes/Quintals
6. लागत-प्रति पिंघणस.....
Cost price per quintal.
7. स्थान जहां नमक भेजा जाना है।
Place to which salt is to be transported.
8. नमक स्थानीय खपत के लिए चाहिए या कहीं और भेजने के लिए, यदि बाद के प्रयोजन के लिए चाहिए तो उस स्थान या जिले का नाम जहां उसकी खपत होगी वाली है।
Whether the salt is required for local consumption or for subsequent transport elsewhere if for the latter, the place or district for the consumption of which is destined.
9. नमक आवेदक के लिए हटाया जाना है या किसी अन्य व्यक्ति के लिए यदि दूसरे व्यक्ति के लिए है तो उसका नाम और पता दें।
Whether the removal is on applicant's own account or for another person; if for another person his name and address.

मैं/हम घोषणा करता/करते हैं कि उपरोक्त विवरण सही है।
I/We hereby declare the above statement to be true.

आवेदक/लाइसेंसधारी
Applicant/Licensee